

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

शीला देवी,
पता—श्री शंकर आदर्श इ0का0 इमलो
पाण्डे पट्टी, जिला जौनपुर।

पत्रांक: मा0शि0च0बो0 / चयन / २०७५ / 2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेला, नौसेना, वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन—पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है जबकि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं बल्कि आश्रित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या—02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी वर्ग—01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन—पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा—पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या—02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

भवदीय

सचिव ७.८.१८

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री अजय कुमार पाण्डेय,
पुत्र श्री एफ०सी० पाण्डेय,
ग्रा० व पो०—मीरजापुर, तह०—जलालाबाद,
जिला—शाहजहाँपुर।

पत्रांक: मा०शि०च०बो० / चयन / २०७५

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेला, नौसेना, वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है जबकि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं बल्कि आश्रित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

भवदीय

सचिव ८०१६
१०८

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार पाण्डेय,
म0सं0-एफ0-268 सेक्टर-23,
संजयनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक: मा0शि0च0बो0 / चयन / २०७६ / 2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेला, नौसेना, वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है जबकि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं बल्कि आश्रित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

भवदीय

सचिव
६-८

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

आमोद कुमार पाल,
आवास विकास कालोनी,
सेक्टर-5 / 178
जिला—मैनपुरी।

पत्रांक: मा0शि0च0बो0 / चयन / २०७७ / 2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा—2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेला, नौसेना, वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन—पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है एवं साक्षात्कार के समय सत्यापन पत्र पर यह अंकित किया है कि मैं सी0आर0पी0एफ0 में मात्र 02 वर्ष तक सेवा की है, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या—02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी वर्ग—01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन—पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा—पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या—02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

भवदीय

6.18'

सचिव

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री तिलक राम,
ग्राम व पोस्ट-सेवरा पूरे माली,
जिला—फैजाबाद।

पत्रांक: मा0शि0च0बो0 / चयन / २०७१ / 2018-19 दिनांक ०७.०८. 2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेला, नौसेना, वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन—पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है। साक्षात्कार के समय जाँचकर्ता ने यह अंकित किया है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के अन्तिम तिथि के छः माह बाद दिनांक 31.08.2014 को सेवानिवृत्ति हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप विज्ञापन संख्या-02/2011 के सापेक्ष आवेदन की अन्तिम तिथि 06.02.2012 के बाद सेवानिवृत्ति हुए हैं, इसलिये आप भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं आते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन—पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा—पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, सदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

भवदीय
सचिव
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।